सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 07.07.2024

मात्र 24 घण्टे के अन्दर जिलाधिकारी इटावा का फर्जी सोशल मीडिया एकाउन्ट बनाने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना सिविल लाइन पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.07.2024 को वादी सन्तोष कुमार पुत्र पूरन सिंह **(लेखपाल तहसील ताखा)** निवासी लखना थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइन नम्बर 7354340866 से जिलाधिकारी इटावा के नाम व फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर एकाउन्ट बनाकर उसका दुरूपयोग किया जा रहा है। **सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 144/2024 धारा 66C आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा इलैक्ट्रानिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर उक्त मोबाइल नम्बर राजस्थान राज्य में ट्रैक किया गया जिस पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 07.07.2024 को **मु0अ0सं0 144/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त अरबाज पुत्र अकरम को ग्राम चौमा थाना रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान से समय 12.30 बजे** गिरफ्तार किया गया है।

नोटः- 01 अभियुक्त राहुल खाँ पुत्र घुटमल उपरोक्त अभियोग में वाँछित है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. **अरबाज पुत्र अकरम निवासी ग्राम चौमा थाना रामगढ़ जनपद अलबर राजस्थान उम्र करीब 21 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोग-

1. **मु0अ0स0 144/2024 धारा 66C आईटी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**

बरामदगीः-

01. मोबाइल वीवो कम्पनी (**घटना में प्रयुक्त**)

पुलिस टीम- निरीक्षक श्री यशवन्त सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, निरी0 राजा दुबे, का0ऑ0 अभय, का0 रामनरेश, का0 अमित खोखर।